फाइल सं. 12019/04/2025-रा.भा.(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी-विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रम का संदर्भ ग्रहण करें। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में राजभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढाने के लिए राजभाषा अधिनियम,1963 तथा उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 में विविध प्रावधान किए गए हैं।

2. राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन व अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण इत्यादि प्रावधान शामिल हैं।

3. ज्ञातव्य है कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 कागजात द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपान्तर अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है। इस नियम के अंतर्गत सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

4. साथ ही वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा कैलेंडर वर्ष के दौरान अपने अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों के 30 प्रतिशत कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण अपेक्षित होता है। इन नियमित अंतराल पर किए जाने वाले निरीक्षणों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) व राजभाषा अधिनियम 1976 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

5. इसके अलावा 47 वीं कोलिक की बैठक के दौरान पाया गया कि कई मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी नहीं है। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उक्त बैठक का सन्दर्भ लेते हुए अपनी वेबसाइट की अद्यतित स्थिति से राजभाषा राजभाषा को santosh.gupta89@nic.in पर यथाशीघ्र अवगत कराएँ। राजभाषा के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट का पूर्णतः द्विभाषी होना अनिवार्य है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है की वेबसाइट पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी सामग्री को भी अपडेट करवाना सुनिश्चित करवाएं।

6. यद्यपि राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है एवं इन धाराओं के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है अपितु स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद यह अपेक्षित है कि इन सामान्य नियमों का पालन सुनिश्चित हो तथा मंत्रालय/विभाग व अधीनस्थ कार्यालयों में इन नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष: 23438129

प्रति :- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)/विभागाध्यक्ष।